बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

कार्यालय आदेश – 38

का०आ०सं०– निग / सारा–01 (पथ) आरोप–01 / 2024 पटना, दिनांक 28/2/25

श्री गणेश राम, कार्यालय परिचारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना दिनांक 07.07.2023 से बिना किसी सूचना के कार्यालय से अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है। इस क्रम में श्री राम की पुत्री, श्रीमती नेहा देवी का पत्र दिनांक 27.02.2024 प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया है कि श्री राम को चाँदी थाना कांड सं०–187 / 2022 में बिना कारण अभियुक्त बनाया गया है तथा वे आरा जेल में बंद है। उक्त पत्र के आलोक में श्री राम के संबंध में चाँदी थाना कांड सं०–187 / 2022 की F.I.R की प्रति एवं कांड की विस्तृत विवरणी की मांग पुलिस अधीक्षक, भोजपुर आरा से की गयी।

2. पुलिस अधीक्षक, भोजपुर आरा से एतद संबंधी प्रतिवेद प्राप्त हुआ, जिसमें अंकित किया गया है कि श्री गणेश राम, कार्यालय परिचारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना चाँदी थाना कांड संख्या–187 / 2022 में अपनी पत्नी श्रीमती मनीषा देवी के साथ द्वितीय प्राथमिकी अभियुक्त है। मामला वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। उक्त कांड में उन्हें दिनांक 10.07.2023 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है तथा उनके विरूद्ध पूरक आरोप पत्र सं०–269 / 23, दिनांक 30.08.2023 समर्पित किया गया है।

3. उपर्युक्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि श्री राम दिनांक 10.07.2023 से लगातार काराधीन है। अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–9 (2) (क) में विहित प्रावधान के आलोक में श्री गणेश राम, कार्यालय परिचारी, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को दिनांक 10.07.2023 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

4. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम–10 के अध्याधीन शर्त्तो के तहत श्री राम को निलंबन अवधि मात्र जीवन निर्वाह भत्ता अनुमान्य होगा।

5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह० / –
सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– निग / सारा–01 (पथ) आरोप–01 / 2024 **पटना, दिनांक.........................**

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव / सचिव, पथ निर्माण विभाग / भवन निर्माण विभाग / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / विशेष सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अभियंता प्रमुख (मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / अवर सचिव (मुख्यालय / लेखा), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, पटना / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–4 / 13 / 14 एवं लेखा शाखा, प्रशाखा–30, **श्रीमती नेहा देवी** (पिता–**श्री गणेश राम**), **पत्राचार का पता–शास्त्रीनगर सी०आई०डी० कॉलोनी, क्वार्टर नं०–33 / 84, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निबंधित

ह० / –
सरकार के अवर सचिव
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।
कृ०पृ०उ०

ज्ञापांक :– निग / सारा–01 (पथ) आरोप–01 / 2024– 1665(S) पटना, दिनांक 28/2/25

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय web-site पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

28/2/25

सरकार के अवर सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

27.02.25

E/Nigrani Section/2011-12/Deepak Kumar/Adhisuchna/k.Adesh